भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Ref: ER/Discipline/Property Returns (2023-24) **18.04.2024**

To
ALL THE HODs IN CENTRAL OFFICE
ALL ZONAL MANAGERS,
OFFICERS IN-CHARGE OF DIVISIONAL OFFICES
LIC HOUSING FINANCE LTD.,
OVERSEAS OFFICES,
MANAGEMENT DEVELOPMENT CENTRE,
OMBUDSMAN OFFICES IN INDIA
LIC CARDS SERVICES LTD.,
LIC PENSION FUND LTD. &
OTHER ENTITIES WHERE LIC EMPLOYEES ARE POSTED.

विषय- वर्ष 2023-24 के लिए संपत्ति विवरण (प्रॉपर्टी रिटर्न) प्रस्तुत करने के संबंध में।
Re: Submission of Property Returns for the year 2023-24.

भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) नियम, 1960 के नियम 35-ए के अनुसार, निगम में वर्ग I, वर्ग II अथवा वर्ग III के संवर्ग में किसी भी पद पर रहने वाले कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। परंतु सक्षम प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे वर्ग IV के किसी कर्मचारी को विवरणी प्रस्तुत करने के निर्देश दे सकते हैं।

वर्ग I, वर्ग II अथवा वर्ग III के संवर्ग के सभी कर्मचारियों द्वारा, **ई-दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध संपत्ति रिटर्न मॉड्यूल के माध्यम** से वार्षिक संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ई-दर्पण पोर्टल तक जीवन संचार पर उपलब्ध कार्मिक विभाग के वेबपेज के माध्यम से पहुचा जा सकता है, जिसके लिए गूगल क्रोम ब्राउजर के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कृपया इस पत्र की विषयवस्तु को आपके क्षेत्रांतर्गत कार्यरत सभी वर्ग के कर्मचारियों के संज्ञान में व्यापक रूप से परिचालित किया जाये। कृपया यह भी सुनिश्चित करें, कि सभी कर्मचारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक संपत्ति विवरण निर्धारित समय के अंदर प्रस्तुत किया जाए। परिपत्र संदर्भ: कार्मिक /क0सं0अनुशासन/परिपत्र सं० 222/2022 दिनांक 15.11.2022 द्वारा संप्रेषित निर्देशों को भी आपके क्षेत्रांतर्गत कार्यरत समस्त वर्गों के कर्मचारियों के संज्ञान में लाया जाये।

कृपया ध्यान दें कि वार्षिक संपत्ति विवरण ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु मोड्यूल दिनांक 22.04.2024 से ई-दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध होगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन भरे गए संपत्ति विवरण का प्रिंट आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है **और फॉर्म III के बिंदु (ii) से संबंधित विवरण सिंगल पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।** कर्मचारियों को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले इस पत्र के साथ संलग्न अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को पढ़ने की भी सलाह दी जा सकती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके क्षेत्रांतर्गत कार्यरत वर्ग I, वर्ग II अथवा वर्ग III के संवर्ग के सभी कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना वार्षिक संपत्ति विवरण ठीक समय पर, अधिकतम दिनांक **31.07.2024** तक, केवल संपत्ति रिटर्न मॉड्यूल के माध्यम से ही प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।

In terms of Rule 35-A of Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, the Annual Property Return for the financial year 2023-24 is required to be furnished by the employees of the Corporation holding any posts in the cadre of Class I, Class II or Class III. Provided that the competent authority may for reasons to be recorded direct an employee in the cadre of Class IV to submit the returns.

Annual Property Return should be submitted by all Class I, Class II or Class III **through Property Return Module hosted on e-Darpan portal**. The e-Darpan portal can be accessed through the Personnel Department web page on Jeevan Sanchar, preferably using Google Chrome Browser.

The contents of this letter may please be widely circulated to the notice of all classes of employees working under your jurisdiction. It should also be ensured that Annual Property Return for the financial year 2023-24 is submitted by all the employees within the stipulated time. Instructions as communicated vide Circular ref: Per/ER-Discipline/Cir.No.222/2022 dated 15.11.2022 shall also be brought to the notice of all classes of employees working under your jurisdiction.

Kindly note that module for online submission of Annual Property Return will be available on e-Darpan portal from 16.04.2024. Employees are not required to submit print outs of Property Returns submitted online, **and the detailed statements related to point (ii) of Form III should be uploaded as single PDF document only.** Employees may also be advised to go through the frequently asked questions enclosed with this letter before filing the Online form.

It is, therefore, requested that all the employees in the cadre of Class I, Class II or Class III under your jurisdiction may be directed to file their Annual Property Returns for the financial year 2023-24 well in time, latest by **31.07.2024**, through Property Return Module only.

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक)
Executive Director (Personnel)

Encl: FAQ on Annual Property Returns.